

**(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)  
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING  
49, SHAM NATH MARG, OLD SECTT., DELHI-110054**

Dated: 09.08.2016

**NOTIFICATION**

No. F. 8/30/2002/DAM/MR/PF-VII/ 6616 . - In exercise of the powers conferred under clause (e) of sub-section (2) of section 117 read with section 76 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act 7 of 1999), with previous approval of the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, the Delhi Agricultural Marketing Board hereby makes the following Regulations to amend recruitment rules for the post of Lower Division Clerk at S. No. 11 of the Annexure-I of the Delhi Agricultural Marketing Service Regulations, 2004, namely:-

1. **Short title and commencement: -**
  - (1) These regulations may be called the **Delhi Agricultural Marketing Service (Amendment) Regulations, 2016.**
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
  
2. In the Delhi Agricultural Marketing Service Regulations 2004, for the existing entries at S. N.11 of Annexure-I for the post of Lower Division Clerk, the following entries shall be substituted, namely:-

	Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale.	Whether selection or non-selection posts.	Age limit for direct recruitments.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
	1	2	3	4	5	6	7
11.	Lower Division Clerk.	73* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Category 'C'.	Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay Rs.1900/-	Non-selection.	18-27 Years.	(i) 12 <sup>th</sup> Class pass or equivalent qualification from a recognized Board or University; and  (ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on Computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH / 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grade from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments.
8	9	10	11	12	13
Age – No. E.Q.- Yes, to the extent indicated in Column no.11.	Two years.	85% by direct recruitment and 15% by promotion.	<p><b>Promotion:-</b> (1) Fifteen percent of the vacancies in grade shall be filled by promotion from Group 'C' employees with the grade pay of Rs.1800/- who possess qualification of Matric or equivalent from recognized board/ university and having put in at least three years regular service on the basis of seniority subject to rejection of unfit.</p> <p>(2) The candidates selected by this method shall be required to pass a test in typewriting at the speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH / 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word) during the period of probation unless exempted by the Lt. Governor of Delhi.</p> <p>Note: The requirement of passing typewriting test is relaxable for physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold the aforesaid post and who are certified as being unable to type on account of physical disability by the prescribed Medical Board in accordance with the prevailing instructions of Government issued from time to time.</p>	Group – C DPC, having following composition:- 1. JS, DAMB – Chairman 2. DS (A), DAMB – Member Secretary 3. DS, DAMB/ APMC – Member (belonging to SC/ST)	Not applicable.

By order and in the name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,



(SAKSHI MITTAL)  
SPECIAL SECRETARY (AM)  
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F. 8/30/2002/DAM/MR/PF-VII/6617 to 6631

Dated: 09-08-16

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
6. Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
10. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, and Flower Marketing Committee, Gazipur, Delhi
11. The Principal Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Guard file.

*Sakshi*

**(SAKSHI MITTAL)**  
**SPECIAL SECRETARY (AM)**  
**GOVT. OF NCT OF DELHI**

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-चार में प्रकाशनार्थ )  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
( विकास विभाग)  
कृषि विपणन निदेशालय  
49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054

दिनांक: 09-08-16

अधिसूचना

सं0फा0 8/30/2002/डीएम/एमआर/पीएफ -VII/6616 .- दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 76 के साथ पठित धारा 117 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड एतद् द्वारा दिल्ली कृषि विपणन सेवा विनियम, 2004 के परिशिष्ट-1 की क्रम संख्या 11 पर अवर श्रेणी लिपिक के पद के भर्ती नियमों में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (क) इन विनियमों को दिल्ली कृषि विपणन सेवा (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जाए।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिल्ली कृषि विपणन सेवा विनियम, 2004 में अवर श्रेणी लिपिक पद के परिशिष्ट-1 की क्रम संख्या 11 पर विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1. पदनाम : अवर श्रेणी लिपिक
2. पदों की संख्या : 73 \* (2015)  
\* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. वर्गीकरण : श्रेणी 'ग'
4. पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान : पे बैंड -1, 5200-20200/- रुपये जमा ग्रेड पें -1900/-
5. क्या चयन या गैर चयन पद : गैर चयन पद
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा : 18-27 वर्ष
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास या समकक्ष  
(2) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग की गति (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समानान्तर होते हैं जो प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेसन की औसत पर हैं)
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। : आयु - नहीं  
शैक्षिक योग्यता - हां कॉलम 11 में विस्तार से इंगित

साक्षी

9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : दो वर्ष  
 10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या : 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा एवं 15 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा  
 पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत

11. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है : पदोन्नति :- (1) ग्रेड में 15 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे ग्रुप "ग" कर्मचारियों की पदोन्नति से भरी जाएंगी जिनका ग्रेड पे 1800/-रु0 है और जिनकी शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष है तथा उनकी कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा हो, यह वरिष्ठता आधार पर तथा दुरुस्तगी आधार पर होगी।

(2) इस पद्धति से चयनित प्रत्याशियों को परीवीक्षा अवधि के दौरान कम्प्यूटर पर एक टंकण परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में या 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में उत्तीर्ण करनी होगी। (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समानान्तर होते हैं जो प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन की औसत पर हैं) जब तक दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसकी छूट प्रदान न की हो।

टीप:- टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त ऐसे शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए शिथिलनीय है जो उक्त पद धारण करने के लिए अन्यथा रूप से योग्य हैं तथा जिन्हें समय समय पर भारत सरकार के वर्तमान निदेशों के अनुसार निर्धारित चिकित्सा बोर्ड ने प्रमाणित किया है कि शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण वे टाइप करने में असमर्थ हैं।

12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? : समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति  
 1. संयुक्त सचिव, डीएएमबी - अध्यक्ष  
 2. उप सचिव, (प्रशा0) डीएएमबी - सदस्य सचिव  
 3. उप सचिव, डीएएमबी/एपीएमसी- सदस्य (अनु0जा0/अनु0जन जाति से संबंधित)।
13. वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर



(साक्षी मित्तल)

विशेष सचिव (कृ0वि0)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं० फा० 8/30/2002/डीएम/एमआर/पीएफ -VII/6617-6631 दिनांक 09-08-16

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
3. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार।
5. सचिव, विकास मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डर हिल रोड़ दिल्ली।
8. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
9. उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
10. कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, दिल्ली एवम् पुष्प विपणन समिति, गाजीपुर दिल्ली।
11. प्रधान सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
12. हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
13. निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
14. संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
15. गार्ड फाइल

साक्षी

(साक्षी मित्तल)  
विशेष सचिव (कृ०वि०)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार